(Hindi Version)

डी. एच. अनुबंध संख्या_________

रोज़गार अनुबंध
(विदेश से भर्ती घरेलू सहायक के लिए)

यह अनुबंध निम्न के बीच किया गया है.. ("नियोक्ता") और ....("सहायक") .... को और इसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

1. इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए सहायक का मूल स्थान है..
....
....

2. (क) नियोक्ता द्वारा सहायक को घरेलू सहायक के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए नौकरी पर रखा जाएगा जिसकी अवधि का आरम्भ हाँगकाँग में सहायक के पहुँचने की तिथि से होगा।

(ख) नियोक्ता द्वारा सहायक को घरेलू सहायक के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए नौकरी पर रखा जाएगा जिसकी अवधि का आरम्भ .... से होगा, जो उसी नियोक्ता के साथ रोज़गार के लिए डी.एच .अनुबंध संख्या .... की समाप्ति के बाद की तिथि है।

(ग) नियोक्ता द्वारा सहायक को घरेलू सहायक के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा जिसकी अवधि का आरम्भ इस अनुबंध के तहत सहायक को आव्रजन निदेशक द्वारा रोज़गार शुरू करने के लिए हाँगकाँग में रहने की अनुमति देने की तिथि से होगा।

3. सहायक नियोक्ता के निवास पर कार्य करेगा और रहेगा जो है..
....

4. (क) सहायक नियोक्ता के लिए संलग्न आवास और घरेलू कार्यों की अनुसूची के अनुसार केवल घरेलू कार्य करेगा।

(ख) सहायक अन्य किसी व्यक्ति के पास रोज़गार नहीं करेगा, और न ही ऐसा करने के लिए नियोक्ता द्वारा आवश्यकता रखी जाएगी।

(ग) नियोक्ता और सहायक एतद्द्वारा आवास की शर्त के हिस्से के रूप में खंड 4 (क) और (ख) को स्वीकार करते हैं और जिसे सहायक द्वारा इस अनुबंध के तहत हाँगकाँग में कार्य करने की स्वीकृति देने पर आव्रजन विभाग द्वारा सहायक के ऊपर लागू किया जाएगा। आवास की उल्लिखित शर्तों में से किसी एक या दोनों के उल्लंघन से सहायक और/या किसी सहायक और उकसाने वाले व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मुकदमा दायर किया जाएगा।

5. (क) नियोक्ता द्वारा सहायक को प्रति माह .... हाँगकाँग डॉलर वेतन का भुगतान किया जाएगा। हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार द्वारा घोषित और इस अनुबंध की तिथि पर प्रचलित न्यूनतम अनुमत वेतन से कम वेतन की रकम नहीं होनी चाहिए। इस रोज़गार अनुबंध के तहत देय वेतन को अदा करने में विफल होने वाले नियोक्ता पर आपराधिक मुकदमा दायर किया जाएगा।

(ख) नियोक्ता संलग्न आवास और घरेलू कार्यों की अनुसूची के अनुसार सहायक को उचित और सुसज्जित आवास और मुफ्त भोजन प्रदान करेगा। भोजन नहीं प्रदान किए जाने पर, प्रति माह .... हाँगकाँग डॉलर का भोजन भत्ता सहायक को अदा किया जाएगा।

(ग) नियोक्ता वेतन और भोजन भत्ते की रसीद प्रदान करेगा और सहायक अपने हस्ताक्षर द्वारा उस रकम की प्राप्ति स्वीकार करेगा।

6. रोज़गार अध्यादेश, अध्याय 57 में बताए अनुसार सहायक सभी विश्राम दिन, वैधानिक अवकाश, और वार्षिक वैतनिक छुट्टी का हक़दार होगा।

7. (क) नियोक्ता द्वारा सहायक को उसके* मूल स्थान से हाँगकाँग तक का किराया और इस अनुबंध की समाप्ति या पूरा होने पर उसके मूल स्थान तक का किराया प्रदान करना होगा।

(ख) सहायक को उसके मूल स्थान से प्रस्थान की तिथि से प्रति दिन हाँगकाँग पहुँचने की तिथि तक 100 हाँगकाँग डॉलर भोजन और यात्रा भत्ता अदा किया जाएगा यदि यात्रा सबसे सीधे मार्ग से की गई हो। यही भुगतान तब भी किया जाएगा जब सहायक इस अनुबंध के पूरा होने या समाप्ति पर अपने* मूल स्थान पर वापस लौटेगा।

8. नियोक्ता सहायक द्वारा उसके मूल स्थान से प्रस्थान और हाँगकाँग में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित शुल्क वास्ते जिम्मेदार होगा:-

(i) चिकित्सा जांच शुल्क;
(ii) संबंधित वाणिज्य दूतावास द्वारा प्रमाणीकरण शुल्क;

(iii) वीजा शुल्क;

(iv) बीमा शुल्क;

(v) प्रशासनिक शुल्क या फिलिपींस ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शुल्क जैसा शुल्क, या प्रासंगिक सरकारी प्राधिकरणों द्वारा लिया जाने वाला इसी प्रकार का शुल्क; और

(vi) अन्य:--

उस स्थिति में जब सहायक ने उक्त लागत या शुल्क का भुगतान कर दिया हो, नियोक्ता द्वारा सहायक के मांगे जाने पर और तदनुसार रसीद या भुगतान के दस्तावेजी सबूत को पेश करने पर उस रकम की तत्काल पूर्ण प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

9. (क) सहायक के बीमार होने या खंड 2 में बताए अनुसार रोज़गार की अवधि के दौरान, सिवाय उस अवधि के जब सहायक अपनी इच्छानुसार और अपने निजी उद्देश्य के लिए हाँगकाँग छोड़ कर जाता है, निजी तौर पर चोट लगने की स्थिति में, नियोक्ता द्वारा सहायक को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। मुफ्त चिकित्सा उपचार में चिकित्सा परामर्श, अस्पताल में रखरखाव और आपात दंत उपचार शामिल है। सहायक द्वारा किसी भी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रदान चिकित्सा उपचार को स्वीकार किया जाएगा।

(ख) यदि सहायक को रोज़गार के दौरान दुर्घटना से चोट लगती है या व्यवसाय संबंधित बीमारी होती है, तो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी प्रतिपूर्ति अध्यादेश, अध्याय 282 के साथ अनुरूपता में प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ग) किसी चिकित्सक द्वारा सहायक को आगे सेवा करने के अयोग्य होने के लिए प्रमाणित किया जाने पर, संबंधित अध्यादेश के वैधानिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए नियोक्ता द्वारा रोज़गार को समाप्त किया जा सकता है और खंड 7 के अनुरूप वह तुरंत सहायक को उसके* मूल स्थान पर वापस भेजने के लिए कदम उठाएगा।

10. कोई भी पक्ष लिखित में एक माह का नोटिस या नोटिस के एवज में एक माह का वेतन देकर इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

11. खंड 10 के बावजूद, कोई भी पक्ष रोज़गार अध्यादेश, अध्याय 57 द्वारा अनुमत परिस्थितियों के एवज में बिना नोटिस दिए या भुगतान किए इस अनुबंध को लिखित में समाप्त कर सकता है।

12. इस अनुबंध की समाप्ति पर, नियोक्ता और सहायक दोनों समाप्ति की तिथि के सैट दिनों के भीतर लिखित में आव्रजन निदेशक को नोटिस देंगे। अन्य पक्ष द्वारा समापन की लिखित अभिस्वीकृति की एक प्रति आव्रजन निदेशक को भी भेजी जाएगी।

13. मौजूदा अनुबंध के पूर्ण होने पर दोनों पक्षों द्वारा एक नया अनुबंध करने पर सहमत होने की स्थिति में, ऐसी किसी अवधि के आरम्भ होने से पहले और नियोक्ता के खर्च पर, सहायक कम से कम सात दिन की वैतनिक/अवैतनिक छुट्टी के लिए अपने* मूल स्थान पर वापस लौटेगा, जब तक कि आव्रजन निदेशक द्वारा हाँगकाँग में रहने की अवधि में वृद्धि की पूर्व सहमती नहीं दी जाती।

14. सहायक की मृत्यु होने पर, नियोक्ता द्वारा सहायक के मृतक शरीर और निजी संपत्ति को हाँगकाँग से उसके* मूल स्थान तक भेजने की लागत का भुगतान किया जाएगा।

15. निम्नलिखित परिवर्तनों को छोड़कर, अनुबंध की अवधि के दौरान उसकी शर्तों में (संलग्न आवास और घरेलू कर्तव्यों की अनुसूची सहित) कोई परिवर्तन या बढ़ोतरी को निरस्त कर दिया जाएगा जब तक कि श्रम कमिश्नर की पूर्व सहमती नहीं प्राप्त की जाती:

(क) पारस्परिक सहमती और आव्रजन निदेशक से प्राप्त पूर्व सहमती के साथ अधिकतम एक माह की उक्त अवधि के विस्तार के माध्यम से खंड 2 में उल्लिखित रोज़गार अवधि में परिवर्तन;

(ख) आव्रजन निदेशक को लिखित में सूचना देने के बाद खंड 3 में उल्लिखित नियोक्ता आवास पते में परिवर्तन, बशर्ते कि सहायक नियोक्ता के नए आवास पते में कार्य और निवास करना जारी रखता है;

(ग) आवास और घरेलू कर्तव्यों की अनुसूची के आइटम 7 के तहत निर्धारित अनुसार आवास और घरेलू कर्तव्यों की अनुसूची में किया गया परिवर्तन; और

(घ) सहायक को गाड़ी चलाने के कर्तव्य करने करने के लिए अनुसूची के परिशिष्ट के रूप में पारस्परिक सहमती द्वारा और आव्रजन निदेशक द्वारा मोटर वाहन चलाने की लिखित अनुमति के साथ सहायक द्वारा मोटर चलाने के संदर्भ में, चाहे उस वाहन का संबंध नियोक्ता से है या नहीं, आवास और घरेलू कर्तव्यों की अनुसूची के आइटम 4 में परिवर्तन।

---

* जहाँ अनुपयुक्त हो हटा दें।

† या तो खंड 2क, 2ख या 2ग का उपयोग यथोचित रूप से करें।

16. उक्त शर्तें सहायक को रोज़गार अध्यादेश, अध्याय 57, कर्मचारी प्रतिपूर्ति अध्यादेश, अध्याय 282 और अन्य किसी प्रासंगिक अध्यादेश के तहत अन्य हक में बाधा नहीं पहुंचाती हैं।

17. पक्ष एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि घरेलू सहायक के रूप में रोज़गार के लिए सहायक की चिकित्सा जांच स्वस्थता के लिए कर ली गई है और नियोक्ता द्वारा जांच के लिए उसके चिकित्सा प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किया गया है।

नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित ______________________________
(नियोक्ता के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में ______________________________ ______________________________
(गवाह का नाम) (गवाह के हस्ताक्षर)

सहायक द्वारा हस्ताक्षरित ______________________________
(सहायक के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में ______________________________ ______________________________
(गवाह का नाम) (गवाह के हस्ताक्षर)

नमूना

* जहाँ अनुपयुक्त हो हटा दें।

आवास और घरेलू कर्तव्यों की अनुसूची

1. नियोक्ता और सहायक दोनों को इस बात कि अभिस्वीकृति देने के लिए हस्ताक्षर करने चाहिए कि उन्होंने इस अनुसूची की विषय वस्तु को पढ़ और समझ लिया है, और इस बात कि पुष्टि करने के लिए कि निजी डेटा (गोपनीयता) अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार इस अनुसूची में शामिल जानकारी को एकत्र और उसका प्रयोग आव्रजन विभाग और अन्य प्रासंगिक सरकारी प्राधिकरणों द्वारा किया जा सकता है।

2. नियोक्ता का निवास और उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी चाकरी की जानी है

   क. फ्लैट/घर का अनुमानित आकार..........वर्ग फीट/वर्ग मीटर*

   ख. नीचे घर में उन व्यक्तियों की संख्या बताएं जिनकी चाकरी नियमित आधार पर की जानी है:

   ....वयस्क..........नाबालिग (5 से 18 वर्ष की आयु के बीच)..........वयस्क (5 वर्ष की आयु से नीचे)..........अपेक्षित शिशु।

   घर में ....व्यक्ति जिन्हें लगातार देखभाल या ध्यान की आवश्यकता है (शिशुओं को छोड़ कर)।

   (नोट: घर में चाकरी के लिए नियोक्ता द्वारा वर्तमान में नौकरी पर रखे गए सहायकों की संख्या ....)

3. सहायक को प्रदान किया जाने वाला आवास और सुविधाएं

   क. सहायक को आवास

   जबकि हाँगकाँग में फ्लैट का औसत आकार बहुत छोटा होता है और अलग से नौकरों के लिए कमरे की उपलब्धता आम बात नहीं होती है, नियोक्ता द्वारा सहायक को उपयुक्त आवास और साथ ही उचित गोपनीयता प्रदान करनी चाहिए। अनुपयुक्त आवास के उदाहरण इस प्रकार से हैं: सहायक को थोड़ी मात्रा में गोपनीयता के साथ गलियारे में अस्थायी बिस्तर पर सोता है और विपरीत लिंग वाले वयस्क/किशोर के साथ कमरे को साझा करता है।

   ☐ हाँ। नौकर के कमरे का अनुमानित आकार....................वर्ग फीट/वर्ग मीटर*

   ☐ नहीं। सहायक के लिए सोने की व्यवस्था:

   ☐ .... आयु के ....बच्चे/बच्चों के साथ कमरा साझा किया जाता है।

   ☐ ....वर्ग फीट/वर्ग मीटर* क्षेत्रफल का अलग से विभाजित क्षेत्र

   ☐ अन्य। कृपया बताएं..

   ....

   ....

   ख. सहायक को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं:

   (नोट: प्रवेश वीजा के लिए आवेदन के ऊपर मंज़ूरी सामान्य रूप से नहीं दी जाएगी यदि आइटम (क) से (च) तक वाली सुविधाएं मुफ्त प्रदान नहीं की जाती हैं।)

(क) प्रकाश और पानी की आपूर्ति	☐ हाँ	☐ नहीं
(ख) शौचालय और स्नान की सुविधाएं	☐ हाँ	☐ नहीं
(ग) बिस्तर	☐ हाँ	☐ नहीं
(घ) कंबल या रजाई	☐ हाँ	☐ नहीं
(ङ) तकिया	☐ हाँ	☐ नहीं
(च) अलमारी	☐ हाँ	☐ नहीं
(छ) रेफ्रिजरेटर	☐ हाँ	☐ नहीं
(ज) मेज़	☐ हाँ	☐ नहीं

(झ) अन्य सुविधाएं (कृपया बताएं)

4. सहायक को नियोक्ता के आवास पर केवल घरेलू कार्य करने चाहिए। इस अनुबंध के तहत सहायक द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्यों में किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी विवरण के मोटर वाहन को चलाना शामिल नहीं है, चाहे उस वाहन का संबंध नियोक्ता से क्यों न हो।

5. घरेलू कार्यों में निम्न कार्य शामिल हैं।

   मुख्य घरेलू कार्य:-

   1. घर के काम
   2. खाना पकाना
   3. घर में वृद्ध लोगों की देखभाल (लगातार देखभाल या ध्यान की आवश्यकता है/आवश्यकता नहीं है*)
   4. शिशु देखभाल
   5. बच्चे का ध्यान रखना
   6. अन्य (कृपया बताएं)

   ....

   ....

   ....

   ....

6. जब सहायक से ऐसी किसी खिड़की को बाहर से साफ़ करने की आवश्यकता रखी जाती है जो भूतल पर स्थित न हो या बालकनी के निकट हो (जिसके ऊपर सहायक के लिए कार्य करना उचित रूप से सुरक्षित हो) या आम गलियारे में हो ("बाहर से खिड़की की सफाई"), तो बाहर से खिड़की की सफाई को निम्न स्थितियों के तहत किया जाना चाहिए:-

   (i) साफ़ की जाने वाले खिड़की में ग्रिल फिट हो जिसके ऊपर ताला लगा हुआ हो या इस प्रकार से बाँध कर रखी गई हो जिससे ग्रिल को खोलने से रोका जा सके; और

   (ii) बाजुओं के सिवाय सहायक के शरीर का कोई भी हिस्सा खिड़की की सीमा से बाहर न जाता हो।

7. नियोक्ता द्वारा आइटम 2, 3 और 5 में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की जानकारी सहायक और आव्रजन निदेशक को दी जाएगी और जिसके लिए संशोधित आवास और घरेलू कर्तव्यों की अनुसूची (आईडी 407जी) की एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आव्रजन निदेशक को सौंपी जाएगी जिसके ऊपर नियोक्ता और सहायक दोनों के हस्ताक्षर होंगे।

नियोक्ता का नाम और हस्ताक्षर	तिथि	सहायक का नाम और हस्ताक्षर	तिथि

* जहाँ अनुपयुक्त हो हटा दें

☐ जहाँ उपयुक्त हो सही का निशान लगाएं